



2026:AHC:18071

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1093/2026

मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद अशरफ

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद अशरफ और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री रामेंद्र पाल सिंह को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या- 484/2025, धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, थाना खुटार, जिला शाहजहाँपुर में पंजीकृत प्रकरण में, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 12.11.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विरुद्ध इस आरोप में दर्ज की गई थी कि ग्राम खुटार की नहर में गाय के कुछ अवशेष पड़े होने की सूचना पर मुखबिर और अन्य व्यक्तियों ने घटनास्थल पर पहुँचकर अवशेष बरामद किए। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को न तो मौके से गिरफ्तार किया गया और न ही उसके कब्जे या निशानदेही से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। कथित रूप से बरामद गो-अवशेषों के संबंध में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है। आवेदक के विरुद्ध बाद में दर्ज एक मामले के आपराधिक इतिहास को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है और जमानत पर अवमुक्त होने की स्थिति में उसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत के लिए मामला बनता है।

अतः, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक, **मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता**, को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्ष्यों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायामूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

दिनांक: 27 जनवरी, 2026

दीपक/

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।